

Dicts. Reg No
2016/00003

Page 1

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2016

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री सुखलाल पिता देवचन्द
निवासी गांगडतलाई जिला
बांसवाड़ा

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय-बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड नं. 5, सेती, वित्तोडगढ़।
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।
3. तहसीलदार, तहसील गांगडतलाई।
4. श्री सुरमल पिता वागजी भील, नि. तरकीया
5. श्री गलिया पिता वागजी भील, नि. तरकीया
6. श्री सोहन पिता वागजी भील, नि. तरकीया
7. श्री किशोर पिता वागजी भील, नि. तरकीया
8. श्री दिनेश पिता वागजी भील, नि. तरकीया
9. श्रीमती सकुड़ी बेवा वागजी भील, नि. तरकीया
10. श्री निलेश पिता पारसंग भील, नि. तरकीया
11. श्री कमलेश पिता पारसंग भील, नि. तरकीया
12. श्रीमती दितुड़ी बेवा पारसंग भील, नि. तरकीया
13. श्री निलेश पिता सवसंग भील, नि. तरकीया
14. श्री राजेश पिता सवसंग भील, नि. तरकीया
15. श्री भईला पिता सवसंग भील, नि. तरकीया
16. श्रीमती ललिता बेवा सवसंग भील, नि. तरकीया

बनाम

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित,

-अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हीरालाल जैन,

- अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :- 08-12-2017


मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार




D:\Decision 2016.doc


भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भूखण्ड साईज 45 फीट बाय 35 फीट कुल क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट एवं आवासीय भूखण्ड साईज 70 फीट बाय 45 फीट कुल क्षेत्रफल 3150 वर्गफीट वाके ग्राम तरकिया में स्थित है। उक्त दोनों भूखण्ड प्रार्थी द्वारा दिनांक 15-10-2004 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से श्री वागजी पिता तेजिया भील निवासी तरकिया से क्रय किया है तथा क्रय दिनांक से उक्त दोनों भूखण्ड पर प्रार्थी नियमित व निर्बाध रूप से आधिपत्य होकर उपयोग करता चला आ रहा है। भूखण्ड साईज 45 फीट बाय 35 के पूर्व दिशा में गुजरात सीमा, पश्चिम में नेशनल हाईवे, उत्तर में विक्रेता की शेष आबादी भूमि एवं दक्षिण में जमना बेन व सुगन बेन का भूखण्ड स्थित हैं। भूखण्ड साईज 70 फीट बाय 45 के पूर्व दिशा में गुजरात सीमा, पश्चिम में नेशनल हाईवे, उत्तर में जमना बाई का प्लॉट व दक्षिण में श्रीमती धापुदेवीका का भूखण्ड स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा क्रय किए गए उक्त आवासीय भूखण्ड सर्वे नं. 477/171 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा आवासीय भूमि जो उपखण्ड कार्यालय, कुशलगढ द्वारा आदेश संख्या 884-08 दिनांक 20-07-2001 से आबादी में श्री वागजी पिता श्री तेजिया द्वारा संपरिवर्तन करवाया गया है। भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से 16 का किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं रहा है। सर्वे नम्बर 477 /171 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा आवासीय भूमि जिसमें प्रार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों के भूखण्ड स्थित हैं। साबिक सर्वे नम्बर 477 / 171 जिसका कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा था, जिसमें से श्री वागजी द्वारा वर्ष 1998 में 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवासीय में रूपान्तरित करवाई है। जिसका जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2039 के खाता संख्या 56 में दर्ज है, तथा शेष रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि दिनांक 20-07-2001 को श्री वागजी द्वारा आवासीय में रूपान्तरित करवाई गई है। किन्तु भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उक्त सर्वे नम्बर 477/171 का मूल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कि हाल सर्वे नम्बर 452 रकबा 0.17 हैक्टर, सर्वे नम्बर 453 रकबा 0.21 हेक्टर एवं सर्वे नम्बर 991/453 रकबा 0.19 हैक्टर कुल रकबा 0.57 हेक्टर कायम कर दिये, जिसमें से सर्वे नम्बर




भगवती प्रसाद
 जिला जज
 जयपुर

452 व 453 को कृषि भूमि में दर्ज कर दिया है तथा शेष सर्वे नम्बर 991/453 को गैर मुमकीन आबादी में दर्ज कर दिया है। उक्त भूमि प्रत्यर्थीगण संख्या 4 लगायत 16 जो श्री वागजी पिता तेजिया के उत्तराधिकारीगण हैं, के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी है, जबकि मूल सर्वे नम्बर 477/ 171 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवासीय रूपान्तरित हो चुकी है और जिसमें से प्रार्थीया व अन्य व्यक्तियों के भूखण्ड रिथत हैं। किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग की गलती के कारण प्रार्थीया के आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया जाकर प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से 16 के नाम अवार्ड जारी कर दिया, जो उक्त अवार्ड प्रार्थी के हक व अधिकारों के विपरित होने से निरस्तनीय हैं तथा अवार्ड की राशि उक्त भूखण्ड की प्रार्थीगण प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसके लिए संशोधित अवार्ड प्रार्थी के नाम जारी करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से 16 के नाम संशोधित अवार्ड संख्या 115 दिनांक 18-09-2015 से सर्वे नम्बर 453 अवाप्त क्षेत्रफल 0.0110 भूमि का मुआवजा राशि रूपया 9834/-, सर्वे नम्बर 452 अवाप्त क्षेत्रफल 0.0433 भूमि का मुआवजा 38710/-रु0, एवं सर्वे नम्बर 991/ 453 आबादी भूमि क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टर भूमि मुआवजा राशि रूपया 622539/- कुल मुआवजा राशि रूपया 671083/-रु पारित कर दिये, जिसमें प्रार्थी के आवासीय भूखण्ड की मुआवजा राशि का अवार्ड जारी नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थी का आवासीय भूखण्ड नेशनल हाई-वे 113 के लिए अवाप्त को जा रही है, जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीया को नहीं दी गई है। उक्त अवार्ड के पूर्व प्रार्थी को आम सूचना धारा 3 के द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (ए) की अधिसूचना का भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन एवं धारा 3 (डी) की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाकर ग्राम तरकिया तहसील गांगडतलाई की आवासीय भूमि को पाड़ी से दाहोद सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु अवाप्त की जाकर कब्जा लिये जाने के लिए प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। प्रार्थी को उक्त भूमि को अवाप्त किये जाने के लिए मौके पर मजदुर वगैरह आने पर एवं सम्बन्धित ठेकेदार मौके पर आकर प्रार्थी की भूमि को अवाप्त



D:\M\Decision 2016.doc

ds
 अरुणवती प्रसाद
 निर्यात कन्ट्रोलर
 खरखारा

किए जाने व नेशनल हाई-वे में शामिल किए जाने की जानकारी प्रार्थी को दिए जाने पर प्रार्थी द्वारा लिखित में अपनी आपत्तियां पेश कर भूमि अवाप्ति अधिकारी को मौके को स्थितियों व परिस्थितियों से अवगत करा कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आवासीय भूमि में प्रार्थीगण का आवासीय भूखण्ड साईज 45 फीट बाय 35 फीट कुल क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट एवं आवासीय भूखण्ड साईज 70 फीट बाय 45 फीट कुल क्षेत्रफल 3150 वर्गफीट स्थित है एवं जिसके चारों तरफ बाउण्ड्री वाल बनी हुई है, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्थित उपरोक्त परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य का निर्धारण नहीं कर मनमर्जी से प्रत्यर्थी संख्या 4 से 16 के नाम अवार्ड जारी कर दिया है तथा प्रार्थी को आवासीय भूमि का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड संख्या 115 दिनांक 08-09-2016 में प्रार्थीया के आवासीय दोनों भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 4725 वर्गफीट का अवार्ड जारी नहीं किया गया है। उक्त अवार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 16 को दी गई प्रतिकर की राशि असंवैधानिक है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण, मनमाना एवं प्रश्नगत भूमि के मौके पर स्थित परिसम्पत्तियों का उचित आंकलन किये बिना जारी होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से प्रतिकर राशि का पुनः निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि एवं परिसम्पत्तियों के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता हैं एवं प्रार्थी इस न्यायालय द्वारा अवार्ड का पुनः अवधारणा करना चाहता हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत अवाप्तशुदा आवासीय भूमि का कुल क्षेत्रफल 4725 वर्गफीट के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। प्रार्थी की आवासीय भूखण्ड का कुल एरिया 4725 वर्गफीट की किमत लगभग 94.50 लाख तथा भूखण्ड पर स्थित बाउण्ड्रीवाल की किमत 3.00 लाख है, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति, परिस्थिति एवं तथ्यों को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से



D.M. Division 2016.doc

अर्जुनी प्रसाद
जिला कलेक्टर
दिल्ली

अपास्त किये जाने योग्य है तथा उक्त मामले में पुनः न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की प्रश्नगत अवाप्तशुदा आवासीय भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :-

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	आवासीय भूखण्ड 4725 वर्गफीट मय बाउण्ड्री वाल	9750000
2	100% तोषण (सोलेशियम)	9750000
	योग	19500000

उक्तानुसार राशि रूपया 195.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड संख्या 115 दिनांक 18-09-2015 से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 204.00 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नगत भूमि एवं उस पर निर्मित परिसम्पत्तियों के फोटो भी संलग्न किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4, 5 एवं 7 लगायत 16 की ओर से श्री गौरव चौदोसा, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किए गए। अप्रार्थी संख्या 6 नोटिस तामील के पश्चात न तो उपस्थित हुए न ही जवाब प्रस्तुत किया गया, अतः अप्रार्थी संख्या 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार उक्त अवाप्त की गई भूमि के भूमि अर्जन,



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
दिल्ली

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर हेतु पारदर्शिता अधिनियम (RECTLARR), 2013 के तहत अवार्ड जारी करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पाड़ी से दाहोद खण्ड के अन्तर्गत राजस्थान भाग से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी), को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12-04-2016 के माध्यम से सूचित किया गया है कि जिन खातेदारों की भूमि की अवार्ड राशि का भुगतान 31-12-2014 तक नहीं किया गया है, उनकी अवाप्ति की गई भूमि का मुआवजा RECTLARR Act 2013 के तहत पुनः संशोधित अवार्ड जारी किये जाने हेतु निवेदन किया था। ताकि सम्बन्धित हितबद्ध, व्यक्ति को अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्ति की जाने वाली भूमि के संबंध में अवार्ड जारी किया गया है, तथा बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को सूचित कर दिया है। प्रार्थीगण ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह भी मनमाने ढंग से राशि की मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी नं. 1 भुगतान कर सकता है। उससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बारीदोरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 36 दिनांक 12-04-2016 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवाप्ताधीन भूमि के हितबद्ध कृषक के खाते में 31-12-2014 तक मुआवजा राशि स्थानान्तरित नहीं की गई हो तो सम्पूर्ण प्रकरणों का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रकरण में उक्त पत्र के सम्बन्ध में मुआवजा पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है। प्रकरण में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज.6/ 211 पाई



Decision 2016.doc

ds
 भूजवली प्रसाद
 जिला कलेक्टर
 बाराणसी


दिनांक 14-06-2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मुआवजे के पुनः निर्धारण को कार्यवाही जारी है।

दिनांक 08-12-2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। विपक्षी संख्या 4 लगायत 16 की ओर से विपक्षीगण / अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाए। आवासीय भूमि एवं उस पर निर्मित बाउण्ड्रीवाल की कुलिया राशि 97.50 लाख एवं इस पर 100% तोपण (सोलेशियम) की राशि 97.50 लाख कुल राशि रूपया 195.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया गया :-

2016 DNJ(SC) Page 507 Aligarh Development Authority V/S Megh Singh & Ors.

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सब्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।



DNJ, Division 2016.doc

भगवती प्रसाद
श्रीलाल
हस्ताक्षर

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदारा द्वारा गणन तरकिया में प्रार्थीया के प्रकरण में मुआवजा पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया की अवाप्तशुदा आवासीय भूमि एवं उस पर निर्मित परिसम्पत्तियों के मुआवजे की राशि प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है, जो कि प्रार्थीया प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 2 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बागीदारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा आवासीय भूमि एवं परिसम्पत्तियों का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना कर प्रार्थीया के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं:113, वित्तोदगढ़ (राज.) को निर्देशित किया जाकर अवार्ड के आधार पर प्रार्थीया को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला अधिकारी
जयपुर जिला न्यायालय
वित्तोदगढ़